


उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या- 503/नौ-7-2018-01(सी0वि0)शाहजहाँपुर/2018
लखनऊ, दिनांक: 26 अप्रैल, 2018


अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा-8 कक की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निर्देश देते हैं कि सरकारी अधिसूचना संख्या-425/नौ-7-2018-01(सी0वि0)शाहजहाँपुर/2018, दिनांक 25 अप्रैल, 2018 में इस रूप में घोषित नगर निगम, शाहजहाँपुर के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले नगर पालिका परिषद, शाहजहाँपुर एवं नगर पंचायत रौजा को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से एतद्वारा विधटित किया जाता है।


(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-503(1)/नौ-7-18-01(सीमा विस्तार) शाहजहाँपुर/2018, तददिनांक


प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड ख में दिनांक अप्रैल, 2018 को प्रकाशित करने एवं मुद्रित अधिसूचना की 150 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-503(2)/नौ-7-18-01(सीमा विस्तार) शाहजहाँपुर/2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, न्याय, राजस्व, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, वित्त, गृह,नियुक्ति, आवास एवं शहरी नियोजन, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, लोक निर्माण, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- सचिव, राज्य वित्त आयोग, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- 4- जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
- 5- राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शाहजहाँपुर।
- 8- अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रौजा।
- 9- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- 10- कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।